

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुगुरुतमो धाम
NCTE

राअशिप/उक्षेस/फ-3/डीएल/पूर्व प्राथमिक/सीटें/99/10331 To 10334

दिनांक : 23.8.99
1-9.89

आदेश

समिति कार्यालय के आदेश क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/डीएल/पूर्व प्राथमिक/सीटें/99/9627-9638, दिनांक 2.8.99 के द्वारा लवली नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रियदर्शी बिहार, दिल्ली को सत्र 99-2000 में एनटीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 सीटें अनुमोदित की गई थीं उक्त आदेश के संदर्भ में संस्था से प्राप्त पत्र दिनांक 17.8.99 के परिप्रेक्ष्य में संस्था को पूर्व अनुमोदित 40 सीटों में संसोधन कर सत्र 99-2000 के लिए 55 सीटें किया जाता है।

प्रवेश के समय संस्था की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह संस्था में कार्यरत अध्यापकों को ध्यान में रखते हुए परिषद् मानदंडों में एनटीटी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात 1:12 के अनुसार ही प्रवेश देगी यदि संस्था इसका पालन नहीं करती है तो परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों के अनुसार संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

भवदीय

(डॉ० एस.एन. मेठी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति—

प्राचार्य

लवली नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
प्रियदर्शी बिहार, दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
2. निदेशक, शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
3. निदेशक, एससीईआरटी, वरुण मार्ग, डिफेंस कालोनी, दिल्ली।

(मेठी)
क्षेत्रीय निदेशक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



गुरुगुरुतगो धाम
NCTE

0105
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

राअशिप/उक्षेस/फ-3/दिल्ली/पूर्व प्राथमिक/सीटें/99/9627-9638 दिनांक : 02.08.99

आदेश

76

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम- 1993 की धारा 14 के अन्तर्गत क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा निर्धारित तिथि तक जिन संस्थाओं ने मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है परन्तु निर्णय की प्रक्रिया में हैं, वे अध्यापक शिक्षा की संस्थाएँ ही आशार्थियों को प्रवेश देने के लिए पात्र होंगी।
दिल्ली-प्रदेश की निम्नलिखित पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में उनके आगे लिखी संख्या में आशार्थियों के प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

क्रसं.	संस्था का नाम	सत्र 99-2000 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवंटित सीटें
1	लवली नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, प्रियदर्शी विहार, दिल्ली	40
2	रामकृष्णा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, एम. ब्लाक, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018	80
3	मानव भारती नर्सरी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पंचशील पार्क, साधना एन्क्लेव, नई दिल्ली-110011	50
4	जी.आर.एम. इन्स्टीट्यूट ऑफ एम.टी.टी., निलोथी मोड, शिवराम पार्क नगर, नई दिल्ली-41	80
5	विद्या ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, विद्या भवन, बंगला साहिब रोड, कालीमंदिर के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 1	80
6	दिल्ली नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, डिफेंस कालोनी, दिल्ली	40
7	गीता रतन जिन्दल नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, रोहिणी, नई दिल्ली	40
8	नर्सरी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (बाल भारती) पुसा रोड, नई दिल्ली	40
9	बोमेन्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (वाई.डब्ल्यू.सी.ए.) ऑफ देहली, बंगला साहिबलेन, नई दिल्ली	45

प्रवेश के समय प्रत्येक संस्था की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी की वह संस्था में कार्यरत अध्यापको को ध्यान में रखते हुए परिषद् मानदंडों में उक्त पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात 1:12 के अनुसार ही प्रवेश

कार्यालय : ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Harayana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

C:/up/tamp/btc.doc/ सुभाष-संमल फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116

75

देगी यदि संस्था इसका पालन नहीं करती है तो परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियम/मानदंडों के अनुसार संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी ।


भवदीय



(डॉ० सत्यनारायण मेठी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
2. निदेशक, शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ।
3. निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली ।
4. प्राचार्य, संबंधित
5. जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान ।



क्षेत्रीय निदेशक